

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

व.पर.सि.ड. 2008-2009/ग.सि.ड. 2008

तारीख पुस्तक


पुस्तक या कार्यवाही मय लघुहरस्तावर जज

उत्तमिपत्र

21/08/2022

31.08.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र बाबत अवमानना से सम्बन्धित मूल वादपत्र बकुलाय उभय पक्षकारान् ने आपसी सहमति से वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से विधिक विभाजन हेतु अपनी-अपनी सहमति व्यक्त कर दिखे जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से वादपत्र में आज अन्तिम डिकी जारी की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

  
(दिलीप सिंह) 21/08/22

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

